उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ

पत्रांकः 19/मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)(कैम्प)/राजस्व–।।/धारा–5 दिनांक : फरवरी 15,2020

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कतिपय सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत लाइनों के विशेष रख–रखाव/अत्यंत आवश्यक लाईनों के शिफ्टिंग जर्जर तारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा शहरी/गाँव की सीमा से लगे इलाकों में सम्प्रति बॉस बल्ली के माध्यम से दिये गये संयोजनों हेतु नियमित विद्युत तंत्र बनाने के लिये **'नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना'** लागू की जायेगी, जिसमें किये जाने वाले कार्य के लिए धनराशि की व्यवस्था वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0/धारा–5) के द्वारा वसूली गयी (कलेक्शन चार्ज को छोड़ते हुए) 15 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य धनराशि से की जायेगी। उपरोक्त कार्यों की प्राथमिकताएँ जिलाधिकारी एवं नोडल अधीक्षण अभियन्ता के संयुक्त स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

इस हेतु पूर्व में निर्गत 'जिला विद्युत विकास निधि योजना' के आदेश सं0–867/मु0अभि0 (वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–।। /आरसी/आर–7 दिनांकः 24.08.2018 एवं इसके समस्त संशोधनों को निरस्त करते हुए **'नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना'** लागू किया जाता है।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। **'नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना'** से सम्बन्धित क्रियान्वयन प्रक्रिया निम्नवत् विवरण के अनुसार सम्पादित कर समस्या का निराकरण कराया जायेगा। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के अन्तर्गत समस्त विद्युत वितरण खण्डों में सामान्य रूप से लागू होगी।

योजना के विवरण निम्नवत् होगें–

1- इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के जनपदों में जिलाधिकारियों के माध्यम से वसूल की गई विद्युत बकाया/आर0सी0 की धनराशि के अंश से विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अत्यावश्यक कार्य सुनिश्चित कराये जायेंगे।

2- प्रत्येक वर्ष जिले में प्रेषित आर0सी0 की धनराशि के सापेक्ष वसूली गयी धनराशि (कलेक्शन चार्ज को छोड़ते हुए) के **15 प्रतिशत अंश** के समतुल्य धनराशि का उपयोग इस कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु संख्या '14' में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जिले में विद्युत–दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों, जर्जर तारों, बांस–बल्लियों द्वारा स्थापित अनियमित विद्युत तंत्र को बदलने, विद्युत लाइन विस्थापित/प्रतिस्थापित करने संबंधी कार्यों को सम्पादित किया जा सकेगा।

3- कराये जाने वाले कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) नामित किये जायेंगे। जनपद में नोडल अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) एवं लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के नाम से एक संयुक्त पृथक बैंक अकाउंट खोला जायेगा। इस अकाउंट में आर0सी0 वसूली के 15 प्रतिशत धनराशि के बराबर धनराशि सीधे उ0प्र0पा0का0लि0 से अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी एवं नोडल अधीक्षण अभियन्ता कराये जाने वाले खण्डों के कार्यों की आवश्यकता प्राथमिकता खंड से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तय करेंगे। किसी खण्ड में कराये जाने वाले कार्य उस खण्ड में आर0सी0 के मद में वसूली गयी धनराशि के 15 प्रतिशत के सीमा से अधिक नही होगी। यदि किसी खण्ड द्वारा कार्य की आवश्यकता नही है तो जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता के अनुसार जिले के अन्य खण्ड के कार्य चयनित कर सकेंगे।

4- अधीक्षण अभियंता (वितरण) तथा जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हित क्षेत्रों में संदर्भित कार्य की योजना (प्रस्ताव) बनवाकर कार्यों की वरीयता के अनुसार स्थलों का चयन किया जाये जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर विद्युत सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये अनुरोध एवं विद्युत दुर्घटनाओं की शिकायतों का भी संज्ञान लिया जाये। जिलाधिकारी के माध्यम से चयनित कार्यों की सूची जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लायी जायेगी। समस्त कार्यों का वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन (बिन्दु संख्या '2' के अनुसार निर्धारित धनराशि की सीमा

तक) निगम के जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये स्थापित नियमानुसार सम्बान्धत का दिये गये प्रदत्त शक्तियों के अनुसार दिया जायेगा।

5- वितरण खण्डों/मण्डलों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग इस आदेशान्तर्गत निर्धारित मदो के अलावा अन्य किसी मद में नही किया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत कार्य हेतु प्राक्कलन कॉस्ट डाटा बुक/रेस्पो कॉस्ट श्यडूल तथा स्टॉक इश्यू रेट के नवीनतम प्रावधानों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

7- डिस्मेंटल की गयी समस्त सामग्री को नियमानुसार भण्डार में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

9- प्रस्तावित कार्य के प्राक्कलन के साथ स्थलीय फोटोग्राफ/विडियोग्राफ भी संलग्न किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः स्थलीय फोटोग्राफ/विडियोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

10- स्वीकृत प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्य समाप्ति पर सम्पूर्ण व्यय का लेखा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रखा जायेगा।

11- अधीक्षण अभियन्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे समस्त कार्यों की प्रगति से जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मा0 विधायक/मा0 सांसद को अवगत कराया जायेगा।

12- यह योजना **दिनांक 01.04.2019** के उपरान्त प्राप्त आर0सी0 की धनराशि के अंश से क्रियान्वित की जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व परिषद के पोर्टल bor.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त आर0सी0 वसूली के धनराशि के 15 प्रतिशत धनराशि के बराबर धनराशि निर्गत की जायेगी। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार सितम्बर 2019 तक सभी जनपदों हेतु 15 प्रतिशत धनराशि रू0 1983.98 लाख है। यह धनराशि कार्य की आकस्मिकता को देखते हुए खोले गए खातों का विवरण प्राप्त होने पर तत्काल अवमुक्त की जायेगी। इसके उपरान्त प्रत्येक त्रैमासिक आर0सी0 वसूली के धनराशि के 15 प्रतिशत धनराशि के बराबर जनपदों को अवमुक्त की जायेगी परन्तु जनपदों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त की जायेगी। इसी प्रकार अग्रेत्तर त्रैमासिक हेतु तद्नुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्गत धनराशि की सीमा तक ही कार्य अनुमोदित किए जा सकेंगें।

13- कार्य कराने वाले खण्ड द्वारा कराये गये कार्य का बीजक सत्यापित कर भुगतान हेतु नोडल अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा जिनके द्वारा कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा।

14- इस योजना के अन्तर्गत कार्य विशेष सम्बंधी **मार्गदर्शी सिद्धांत** निम्नवत हैः–

अ) <u>जर्जर तारों को बदलने के कार्य–</u>

क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर एच0टी0 (11 के०वी० तक), एल0टी0 लाइन एवं स्टील वायर को बदलने का कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

ख) इस कार्य हेतु ऐसे स्थानों का चयन किया जाये जिनमें जर्जर तारों को बदलना औचित्यपूर्ण हो। यह सुनिश्चित करने हेतु घनी आबादी वाले क्षेत्रों बाजार आदि, सकरी गलियों, रोड/रेलवे क्रासिंग, स्टेट/नेशनल हाइवे क्रासिंग इत्यादि, विद्युत दुर्घटनाओं की अधिकता एवं प्रभाव की अधिक व्यापकता वाले स्थानों एवं ऐसे स्थान जहाँ पूर्व में तार टूटने की अत्यधिक घटनाएँ अभिलेखित है को शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी।

ग) इस कार्य में जीर्ण–शीर्ण पोलों को बदलना भी सम्मिलित किया जाये एवं आवश्यकतानुसार लम्बी दूरी के span में इण्टरपोल की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार guarding लगाये जाने का कार्य भी प्रस्ताव में सम्मिलित किया जायेगा।

घ) कार्य का अनुमोदन निम्नलिखित वरीयता के अनुसार किया जायेगा –

i. सार्वजनिक स्थानों यथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, राजकीय विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई बाजार आदि में जर्जर तारों को बदला जा सकेगा।

ii. विद्युत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में जर्जर तारों को बदलने एवं guarding लगाया जा सकेगा।

iii. विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में जर्जर तारों को ए0बी0 केबल से बदलने का कार्य किया जायेगा।

ब) बांस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गए संयोजनों के नियमितीकरण एवं नये संयोजनों के निर्गमन के कार्य–

क) बसावट में न्यूनतम 40 घर हो।

ख) विद्युत तंत्र बनाने हेतु उन्ही क्षेत्रों को संज्ञान में लिया जाये जहाँ 70 प्रतिशत आवास निर्मित हो और उनमें विद्युत संयोजन निर्गत हो।

ग) समस्त छूटे हुए घरों में संयोजन प्रदान किया जायेगा।

घ) इस कार्य हेतु वरीयता बसावटों में अधिकतम संयोजन एवं प्रति घर सबसे कम आने वाले खर्च को संज्ञान में लेकर फण्ड की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।

च) सामान्यतः ऐसी बसावटों में 200 वर्ग गज से अधिक के प्लाट न हो एवं वर्तमान में किसी भी कालोनाइजर द्वारा प्लाटिंग न की जा रही हो।

ज) एल0टी0 विस्तारीकरण करते समय लोड एवं वोल्टेज की दृष्टि से न्यूनतम एच0टी0 लाइन निर्मित करते हुए उचित क्षमता के परिवर्तक से आवश्यक सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

स) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के ऊपर से जा रहे खुले तारों को ए0बी0 केबिल से बदलने अथवा शिफ्टिंग करने के कार्य–

क) यह कार्य शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक स्थानों मुख्यतः प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, राजकीय विद्यालय एवं केवल दुर्बल आय–वर्ग के अधिवासियों के आवासों के ऊपर से जा रहे एल0टी0/11 केवी लाइन के खुले तारों को ए0बी0 केबिल से बदलने अथवा शिफ्टिंग करने के कार्य, जिसमें लागत न्यूनतम हो, हेतु किया जायेगा।

ख) ऐसे आवासीय क्षेत्र, जहाँ प्लाटिंग की जा रही है, में यह कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

ग) इस कार्य हेतु ऐसे स्थानों का चयन किया जाये जहां एल0टी0/11 केवी लाइन के खुले तारों की शिफ्टिंग अथवा ए0बी0 केबिल से बदलना औचित्यपूर्ण हो। यह सुनिश्चित करने हेतु दुर्बल आय वर्ग की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आवासों, सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जा रहे तारों, जहाँ विद्युत दुर्घटनाओं की अधिकता एवं पूर्व में तार टूटने की अत्यधिक घटनाएँ अभिलेखित हो, मानकों के अनुरूप clearance न हो, को तदनुसार शिफ्टिंग/बदलने हेतु शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम एवं केस्को।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी , उ0प्र0 शासन।
5. समस्त निदेशक (वाणिज्य), डिस्काम एवं केस्को।
6. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन इकाई) को ई–बुक में निर्गत आदेश को सम्मिलित करने हेतु।

(एम. देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि —
(1) निदेशक(कार्मिक) उ0प्र0पा0का0लि0।
(2) निदेशक(वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0।
(3) निदेशक(वित्त) समस्त डिस्काम एवं केस्को कानपुर।

15/02/2020
(श्रवण पन्त)
मुख्य अभियन्ता